उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-24/2016/एस-2-2252/दस-2016-88क(22)/2015 टी0सी0

लखनऊ :: दिनॉक:: 04 नवम्बर, 2016

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारियों को जनहित में उनके वर्तमान पद एवं स्थान से तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-3 में अंकित पद व स्थान पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान, जहॉ स्थानान्तरित करके तैनात किया गया
1	2	3
1	श्री सरयू प्रसाद मिश्र, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।	वरिष्ठ वित्त सलाहकार, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, उ0प्र0 लखनऊ।
2	श्री पंकज सक्सेना, वित्त नियंत्रक, राज्य समन्वयक सेन्टर फार-ई-गवर्नेन्स उ0प्र0 लखनऊ।	अपर निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ। (उप निदेशक, वित्तीय सांख्कीय निदेशालय के पद का अतिरिक्त प्रभार सहित)

2- उक्त स्थानान्तरण से रिक्त हो रहे वित्त नियंत्रक, राज्य समन्वयक सेन्टर फार-ई-गवर्नेन्स उ0प्र0 लखनऊ के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री आनन्द स्वरूप, संयुक्त निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को बिना किसी अतिरिक्त वेतन भत्ते के, प्रदान किया जाता है।

3- उक्त स्थानान्तरित अधिकारी अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अपने वर्तमान पद व स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर अपने नवीन तैनाती के पद व स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन एवं निदेशक कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4- स्थानान्तरित अधिकारियों का जो भी अगले माह का वेतन होगा, वह उसकी पूर्व तैनाती के स्थान से आहरित नहीं होगा।

(शिव गोपाल सिंह)

अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanades.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-24/2016/ एस-2-2252(1)/दस-2016, तददिनाँक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, महिला कल्याण/समाज कल्याण उ0प्र0 शासन।
2- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, लखनऊ।
4- निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ।
5- निदेशक, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, (जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट)लखनऊ।
7- संबंधित अधिकारीगण।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanades.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।